न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्यांः 06/18</u> निर्णय दिनांकः 20—02—2020
(आरसीएमएस संख्या 2018/00090)

1. कमलादेवी पत्नि भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी गंगापुरा तहसील श्रीकोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 12—05—2017
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

<u>उपस्थितः</u>
1. श्री आसुराम कुमावत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियाँ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय दिनांक 12—05—2017 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम गंगापुरा खसरा नम्बर 189, 190, 234/3, 235/3, 246/2, 247/1 कुल किता 6 तादादी 98 बीघा 02 बिस्वा भूमि मानसिंह, उदयसिंह पुत्रगण लाभूसिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी भूमि थी। मानसिंह जोकि उक्त भूमि में 1/2 भाग से हिस्सेदार थे, के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि मानसिंह के जायज वारिसान अमर कंवर बेवा मानसिंह, तेजू सिंह, रूप सिंह पिसरान मानसिंह के नाम 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा उदय सिंह पुत्र लाभूसिंह के नाम खातेदारी दर्ज हुई। जो जमाबन्दी संवत् 2049 से 2053 दर्ज है। मानसिंह के वारिसान द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि जरिये

रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 08–02–2006 को अपीलांट के नाम से विक्रय कर दी गई तथा भौतिक रूप से अपने हक व हिस्से की भूमि पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तथा अपीलांट की खरीदशुदा भूमि का इंतकाल संख्या 1686 अपीलांट के नाम से दर्ज किया गया। अपीलांट द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि पर केसीसी व बैंक से ऋण आदि प्राप्त कर रखा है। उक्त भूमि पूर्व में राजस्व विभाग के अध्ययधीन रही तथा कालान्तर में उक्त भूमि उपनिवेशन विभाग में हस्तान्तरित होने पर राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज कर दी गई। जिस पर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा दिनांक 11–02–2013 को खातेदारी सनद् जारी कर दी गई।

उन्होनें आगे बताया कि उक्त खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं करने पर अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर कैम्प कोर्ट का सहारा लेते हुए कैम्प खारीचारणान में बिना किसी युक्तियुक्त कारण के खारिज कर दिया गया। जबकि प्रकरण में तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित रहा है कि उक्त भूमि अपीलांट् की खरीदशुदा भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में है। जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने का अपीलांट अधिकारी है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में तमाम वांछित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। फिर भी अदालत मातहत द्वारा कानून एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर दावा डिक्री किया जावे।

अदालत मातहत द्वारा धोषणात्मक वाद का निर्णय मात्र सरसरी तौर पर कर दिया गया। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा एवं स्टेट द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। जिस पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए अपीलांट व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करने में कानूनी भूल कारित करते हुद कानून व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा जिस वादगत् के खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तमाम राजस्व अभिलेखों से वादी/अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। अपीलांट/वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से राज्य सरकार की बेशकिमती भूमि पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गई है। जिसका अपीलांट कतई अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में वादी/अपीलांट ने उसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई खातेदारी सनद् के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन के अनुतोष के आधार पर वाद पेश किया। राज्य सरकार की और से तहसीलदार, कोलायत ने जवाब पेश किया। जिसके आधार पर तनकीयात् कायम की जाकर पक्षकारों की शहादत ली जानी थी। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने न तो तनकीयात् कायम की तथा ना ही शहादत का परीक्षण करवाया।

8. परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने का उल्लेख करते हुए तकनीकी आधार पर वाद खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के वादी के पक्ष में किये गये बैयनामा व खातेदारी सनद् एवं कब्जे की सुरक्षा के अनुतोष के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की तथा काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद को प्रतिनिषिध बताकर खारिज कर दिया गया। परीक्षण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अविवेकपूर्ण तथा कानूनी प्रावधानों से असंगत है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–05–2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करे हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 20–02–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.12 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: